



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-14032020-218656
CG-DL-W-14032020-218656

साप्ताहिक/WEEKLY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 11] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 14—मार्च 20, 2020 (फाल्गुन 24, 1941)
No. 11] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 14—MARCH 20, 2020 (PHALGUNA 24, 1941)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

पृष्ठ सं.

पृष्ठ सं.

भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.....	243
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	279
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	7
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	805
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.....	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.....	*
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट.....	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).....	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को	

छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं.....	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).....	*
भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश.....	*
भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.....	371
भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस.....	*
भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.....	*
भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं.....	27
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस.....	477
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक.....	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.		Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	243	by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	279	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.....	7	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	805	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	371
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	27
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	477
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1**[PART I—SECTION 1]**

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 जनवरी 2020

सं. 03—प्रेज/2020—भारत के राष्ट्रपति वर्ष 2029 के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला के पुरस्कार प्रदान करने का अनुमोदन करते हैं:—

सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक

1. मास्तर फिरोस इ. पी. (मरणोपरांत), केरल
2. श्री महेश पांडुरंग साबले, महाराष्ट्र
3. श्री स्पाइनलिनस एल. गादेव (मरणोपरांत), मेघालय
4. श्री ललरेम्पुईयां (मरणोपरांत), मिजोरम
5. श्री मंजीत सिंह (मरणोपरांत), हरियाणा
6. श्री पकिया राज एम, जम्मू और कश्मीर
7. श्री जगबीर सिंह (मरणोपरांत), हरियाणा

उत्तम जीवन रक्षा पदक

1. श्री मीसाला आनंद, आंध्र प्रदेश
2. श्री जीवन एन्टोनी, केरल
3. श्रीमती सरिता के. केरल
4. श्री कमलदेव एन. एम., केरल
5. मास्टर शम्मास वी.पी., केरल
6. श्री सी. लियांवला, मिजोरम
7. श्री शिवचरण सिंह, राजस्थान
8. श्री मुकेश कुमार मीणा, राजस्थान

जीवन रक्षा पदक

1. श्री गुंडापु राजेश, आंध्र प्रदेश
2. श्री दिनेश भाई नरसिंह भाई वसावा, गुजरात
3. श्री फिरोजभाई फतूभाई मुलतानी, गुजरात
4. श्री प्राणवीर सिंह चंदनसिंह सरवैया, गुजरात
5. श्री पृथ्वीराजसिंह रणजीत सिंह जाडेजा, गुजरात
6. श्री श्रवण कुमार चंदुभाई वसावा, गुजरात
7. श्री मो. यूनिस एवान, जम्मू और कश्मीर
8. श्री जाकिर हुसैन, जम्मू और कश्मीर
9. श्री मकसूद अहमद, जम्मू और कश्मीर
10. श्री शबीर अहमद डार, जम्मू और कश्मीर
11. मास्टर अंचल पी. पी., केरल
12. श्री राहुल जाट, मध्य प्रदेश

13. श्री नदीम खान, मध्य प्रदेश
14. श्री संजीव धाकड, मध्य प्रदेश
15. श्री राकेश तिवारी, मध्य प्रदेश
16. श्री लोकेश गांधे, मध्य प्रदेश
17. श्री तहजीव काजी, मध्य प्रदेश
18. मास्टर एवरब्लूम के. नंग्रूम, मेघालय
19. मास्टर निही फ्रेड्डी वार, मेघालय
20. श्री ललओमपुइयां, मिजोरम
21. श्री आर. श्रीधर, तमिलनाडु
22. श्री ममलेश सिंह उत्तराखंड
23. श्री विनोद पिपिलियाल, उत्तराखंड
24. श्री कुंवर दिव्यांश सिंह, उत्तर प्रदेश
25. श्री एम. समयामुत्थु, अण्डमान और निकोबार
26. श्री महेश सिंह गुर्जर, राजस्थान
27. श्री इंद्रजीत सिंह, दिल्ली
28. श्री पंकज काला, हरियाणा
29. श्री रुवेन बी. मालस्वमतलुंगा, हिमाचल प्रदेश
30. श्री एन. कार्तिकेयन, महाराष्ट्र
31. श्री प्रशान्त कुमार, उत्तर प्रदेश
32. श्री मुकेश कुमार, आंध्र प्रदेश
33. श्री आशुतोष शर्मा, केरल
34. मास्टर सिद्धप्पा केम्पन्ना होसत्ती, कर्नाटक
35. मास्टर शिवानंद दशरथ होसत्ती, कर्नाटक
36. कुमारी प्रमोद बालासाहेब देवधे, महाराष्ट्र
37. मास्टर शिवराज राजचंद्र भंडारवाड, महाराष्ट्र
38. श्री टेंगले दत्तात्रेय सुरेश, महाराष्ट्र
39. श्री विशाल पंजाबराव पोटकटारे, छत्तीसगढ़

पी. प्रवीण सिद्धार्थ
विशेष कार्य अधिकारी

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली-01, दिनांक 17 फरवरी 2020

सं. एफ. 11/9/2019-यू.3(ए)—जबकि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने मौजूदा सार्वजनिक संस्थाओं का 'प्रतिष्ठित संस्थाओं' के रूप में उन्नयन करने के लिए सार्वजनिक संस्थाओं के लिए यूजीसी (सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं की प्रतिष्ठित संस्थाओं के रूप में घोषणा) दिशा-निर्देश, 2017 जारी किए थे।

2. और जबकि, हैदराबाद विश्वविद्यालय ने हैदराबाद विश्वविद्यालय को 'प्रतिष्ठित समवत विश्वविद्यालय संस्था' का दर्जा प्रदान करने के लिए दिनांक 12.12.2017 को अपना आवेदन प्रस्तुत किया था।

3. और इसके अलावा जबकि, आवेदन को, इस प्रयोजनार्थ गठित अधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति (ईईसी) को सौंपने हेतु यूजीसी को अग्रोषित कर दिया गया था। ईईसी ने विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों साथ ही साथ ईईसी के समक्ष दी गई प्रस्तुतियों के आधार पर मूल्यांकन किया और दिनांक 07.12.2018 को यूजीसी को प्रस्तुत किया था।

4. और जबकि, अधिकारप्राप्त विशेषज्ञ समिति ने समय मूल्यांकन करने के बाद, यूजीसी (सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं की प्रतिष्ठित संस्थाओं के रूप में घोषणा) दिशा-निर्देश, 2017 के अनुसार हैदराबाद विश्वविद्यालय को प्रतिष्ठित संस्था का दर्जा प्रदान करने के लिए

अनुशंसित किया था। यूजीसी द्वारा इसकी 02.07.2019 को आयोजित की गई 542वीं बैठक में अधिकारप्राप्त विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर विचार किया गया और इसे अनुमोदित किया गया।

5. और इसके अलावा जबकि, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने यूजीसी और अधिकारप्राप्त विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर हैदराबाद विश्वविद्यालय का 'प्रतिष्ठित संस्था' के रूप में अभिनिर्धारण करने के लिए दिनांक 04.09.2019 को आदेश जारी किया था। विश्वविद्यालय से विवरण और मूर्त कार्य योजना, लक्ष्यों और समय-सीमा का स्पष्ट उल्लेख करते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ किये जाने वाले समझौता ज्ञापन (एमओयू) का मसौदा प्रस्तुत करने के लिए भी कहा गया था, जिससे विश्वविद्यालय प्रत्येक मानदंड प्राप्त करना चाहती है जैसा कि इसके आवेदन में और अधिकारप्राप्त विशेषज्ञ समिति के समक्ष दी गई प्रस्तुति में उल्लेख है ताकि हैदराबाद विश्वविद्यालय को बतौर प्रतिष्ठित संस्था घोषित करने की अधिसूचना जारी की जा सके।

6. और जबकि, रजिस्ट्रार, हैदराबाद विश्वविद्यालय ने अपना मसौदा समझौता ज्ञापन (एमओयू) इस मंत्रालय को ई-मेल के माध्यम से 20.11.2019 को प्रस्तुत किया। मंत्रालय ने इसे यूजीसी को अधिकारप्राप्त विशेषज्ञ समिति के समक्ष रखने के लिए उनके विचारार्थ और अनुमोदनार्थ भेज दिया था।

7. और जबकि, यूजीसी ने अपने दिनांक 13.01.2020 के पत्र सं.2-5/2018(आईओई) के माध्यम से अपनी दिनांक 09.12.2019 को आयोजित बैठक में ईईसी द्वारा अनुमोदित हैदराबाद विश्वविद्यालय के समझौता ज्ञापन की प्रति अग्रेषित की है।

8. और जबकि, अधिकारप्राप्त विशेषज्ञ समिति का अनुमोदन मिलने पर, मंत्रालय ने 17.02.2020 को हैदराबाद विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

9. अतः अब, केंद्र सरकार, एतद्वारा, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और ईईसी एवं यूजीसी की सिफारिश पर हैदराबाद विश्वविद्यालय को इस अधिसूचना के जारी किए जाने से 'प्रतिष्ठित समवत विश्वविद्यालय संस्था' घोषित करती है। यह घोषणा निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:—

- (i) हैदराबाद विश्वविद्यालय मौजूदा नियामक प्रावधानों के अनुसार, काम करता रहेगा जिसके तहत इसका सृजन किया गया है। विश्वविद्यालय को यूजीसी (सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं की प्रतिष्ठित संस्थाओं के रूप में घोषणा) दिशा-निर्देश, 2017 और यूजीसी (प्रतिष्ठित समवत विश्वविद्यालय संस्थाएं) विनियम, 2017 में भी दिया गया अतिरिक्त प्रोत्साहन भी दिया जाएगा।
- (ii) संस्थान को प्रतिष्ठित संस्थान घोषित किए जाने के वित्तीय वर्ष से पांच वर्षों की अवधि के लिए संस्थान को दी जाने वाली वित्तीय सहायता रुपये एक हजार करोड़ अथवा संस्थान की संभावित और विस्तृत योजनाओं की अपेक्षाओं का 50 से 75 प्रतिशत, जो भी कम हो, तक होगी। दी जाने वाली सटीक राशि और 50 से 75%, जो भी कम हो, के बैंड में सटीक प्रतिशत संस्थान के परिप्रेक्ष्य और विस्तृत योजना प्रस्ताव पर निर्भर करेगी और अधिकारप्राप्त विशेषज्ञ समिति द्वारा इसका मूल्यांकन किया जाएगा और इसे स्वीकार किया जाएगा।
- (iii) इसके अलावा, सार्वजनिक संस्था को प्रदान की गई वार्षिक राशि ईईसी द्वारा अनुमोदित फार्मुला के अनुसार और संस्था द्वारा इसकी कार्यान्वयन योजना में निर्धारित वित्तीय और वास्तविक परिणामों को प्राप्त करने पर निर्भर करेगी। तथापि, यदि संस्थान निधियों को पहले अवशोषित करने की क्षमता दिखाता है और यह अपेक्षित परिणाम प्रदान करने में सक्षम होता है, निधियों को अधिक तीव्र गति से भी अनुमत किया जाएगा।
- (iv) इन दिशा-निर्देशों के अधीन निधियन मौजूदा निधियन, जिसके लिए वे पात्र है, के अतिरिक्त होगा।
- (v) इन दिशा-निर्देशों के अधीन प्रदान की गई निधियों का भूमि की खरीदारी करने अथवा भूमि पट्टे पर लेने के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा।
- (vi) विश्वविद्यालय को उद्योग जगत अथवा पूर्व छात्रों अथवा अन्य दानदाताओं से संसाधन जुटाने और इसे किसी प्राधिकरण से अनुमति लिए बिना अपनी कार्यान्वयन योजना के अनुसार उपयोग में लाने की पूरी स्वतंत्रता होगी।
- (vii) इस अधिसूचना को जारी किए जाने के बाद हैदराबाद विश्वविद्यालय की उनकी 15 वर्षीय कार्यनीति योजनाओं के मद्देनजर, अपनी कार्यान्वयन योजनाओं का पालन करने के लिए अधिकारप्राप्त विशेषज्ञ समिति द्वारा नियमित समीक्षा की जाएगी।
- (viii) यह निगरानी और समीक्षा विश्वविद्यालय के लगातार 2 वर्षों तक अथवा 15 वर्षों तक, जो भी पहले हो, प्रतिष्ठित विश्व रैंकिंग में शीर्ष सौ स्थान हासिल करने तक जारी रहेगी। वार्षिक समीक्षा का कार्य, प्रत्येक वर्ष जून तक पूरा कर लिया जाएगा।
- (ix) विश्वविद्यालय प्रत्येक वर्ष अधिकारप्राप्त विशेषज्ञ समिति को कार्यान्वयन और कार्यनीति योजनाओं में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में हुई प्रगति के संबंध में इस प्रकार जानकारी प्रदान करेगा जैसाकि समिति द्वारा विनिर्धारित किया गया हो।

- (x) प्रतिष्ठित संस्थाएं अपने कार्यान्वयन और कार्य नीति की योजनाओं से संबंधित सूचना की वार्षिक रिपोर्ट स्वयं तैयार करेंगी और इसे सार्वजनिक करेंगी।
- (xi) हैदराबाद विश्वविद्यालय दिशा-निर्देश 4.1 (xviii) के अनुसार इस अधिसूचना के जारी किए जाने से 5 वर्षों के भीतर प्रत्यायन प्राप्त कर लेगा।
- (xii) हैदराबाद विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क में गिना जाता रहेगा और अधिसूचना के 5 वर्ष के भीतर यह प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग इंडेक्स में रैंक प्राप्त कर लेगा। यह संस्था, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग फ्रेमवर्क में रैंक प्राप्त करता रहेगा।
- (xiii) यदि संस्था पांच और इसके बाद के वर्षों के अंत में लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाता और कार्यान्वयन योजना से, जैसी अधिकारप्राप्त विशेषज्ञ समिति द्वारा निर्धारित की गई है, काफी अधिक विचलन होता है, अधिकारप्राप्त विशेषज्ञ समिति, मानव संसाधन विकास मंत्रालय को इन दिशा-निर्देशों के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए सिफारिश करेगी।

वीएलवीएसएस सुब्बा राव
संयुक्त सचिव

सं. एफ. 11/9/2019-यू3(ए)—जबकि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने मौजूदा सार्वजनिक संस्थाओं के 'प्रतिष्ठित संस्थाओं' के रूप में उन्नयन हेतु सार्वजनिक संस्थाओं के लिए यूजीसी (सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं की प्रतिष्ठित संस्थाओं के रूप में घोषणा) दिशा-निर्देश, 2017 जारी किए थे।

2. और जबकि, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास को 'प्रतिष्ठित संस्थान' राष्ट्रीय महत्व संस्थान का दर्जा प्रदान करने के लिए दिनांक 11.12.2017 को अपना आवेदन प्रस्तुत किया था।

3. और इसके अलावा जबकि, आवेदन को, इस प्रयोजनार्थ गठित अधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति (ईईसी) को सौंपने हेतु यूजीसी को अग्रोषित कर दिया गया था। ईईसी ने संस्थान द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों साथ ही साथ ईईसी के समक्ष इसके द्वारा दी गई प्रस्तुतियों के आधार पर 07.12.2018 को इसका मूल्यांकन किया था और यूजीसी को प्रस्तुत किया था।

4. और जबकि, अधिकारप्राप्त विशेषज्ञ समिति ने समग्र मूल्यांकन करने के बाद, यूजीसी (सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं की प्रतिष्ठित संस्थाओं के रूप में घोषणा) दिशा-निर्देश, 2017 के अनुसार भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास को प्रतिष्ठित संस्था का दर्जा प्रदान करने के लिए अनुशंसित किया था। यूजीसी द्वारा इसकी 02.07.2019 को आयोजित की गई 542वीं बैठक में अधिकारप्राप्त विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर विचार किया गया और इसे अनुमोदित किया गया था।

5. और इसके अलावा जबकि, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने यूजीसी और अधिकारप्राप्त विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर 'प्रतिष्ठित संस्थाओं' की योजना के तहत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास को दिनांक 04.09.2019 को आदेश जारी किया था। संस्थान से विवरण और मूर्त कार्य योजना, लक्ष्यों और समय-सीमा का स्पष्ट उल्लेख करते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ किये जाने वाले समझौता ज्ञापन (एमओयू) का मसौदा प्रस्तुत करने के लिए भी कहा गया था, जिससे संस्थान प्रत्येक मानदंड प्राप्त करना चाहता है जैसाकि इसके आवेदन में अथवा अधिकारप्राप्त विशेषज्ञ समिति के समक्ष दिए गए अभ्यावेदन में उल्लेख है ताकि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास को बतौर प्रतिष्ठित संस्था घोषित करने की अधिसूचना जारी की जा सके।

6. और जबकि, निदेशक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास ने अपना मसौदा समझौता ज्ञापन (एमओयू) इस मंत्रालय को ईमेल के माध्यम से 26.11.2019 को प्रस्तुत किया। मंत्रालय ने इसे यूजीसी को अधिकारप्राप्त विशेषज्ञ समिति के समक्ष रखने के लिए उनके विचारार्थ और अनुमोदनार्थ भेज दिया था।

7. और जबकि, यूजीसी ने अपने दिनांक 13.01.2020 के पत्र सं. 2-5/2018 (आईओई) के माध्यम से अधिकारप्राप्त विशेषज्ञ समिति द्वारा दिनांक 09.12.2019 को हुई अपनी बैठक में यथानुमोदित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास के समझौता ज्ञापन की एक प्रति प्रेषित कर दिया था।

8. और जबकि, अधिकारप्राप्त विशेषज्ञ समिति का अनुमोदन मिलने पर, मंत्रालय ने 17.02.2020 को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे।

9. अतः अब, केंद्र सरकार, एतद्वारा, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ईईसी एवं यूजीसी की सिफारिश पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास को इस अधिसूचना के जारी किए जाने से 'प्रतिष्ठित संस्था' राष्ट्रीय महत्व संस्थान घोषित करती है। यह घोषणा निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:—

- (i) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास, मौजूदा नियामक प्रावधानों के अनुसार, काम करता रहेगा जिसके तहत इसका सृजन किया गया है। संस्था को यूजीसी (सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं की प्रतिष्ठित संस्थाओं के रूप में घोषणा) दिशा-निर्देश, 2017 और यूजीसी (प्रतिष्ठित समवत विश्वविद्यालय संस्थाएं) विनियम, 2017 में दिया गया अतिरिक्त प्रोत्साहन भी दिया जाएगा।
- (ii) संस्थान को प्रतिष्ठित संस्थान घोषित किए जाने के वित्तीय वर्ष से पांच वर्षों की अवधि के लिए संस्थान को दी जाने वाली वित्तीय सहायता रुपये एक हजार करोड़ अथवा संस्थान की संभावित और विस्तृत योजनाओं की अपेक्षाओं का 50 से 75 प्रतिशत, जो भी कम हो, तक होगी। दी जाने वाली सटीक राशि और 50 से 75%, जो भी कम हो, के बैंड में सटीक प्रतिशत संस्थान के परिप्रेक्ष्य और विस्तृत योजना प्रस्ताव पर निर्भर करेगी और अधिकारप्राप्त विशेषज्ञ समिति द्वारा इसका मूल्यांकन किया जाएगा और इसे स्वीकार किया जाएगा।
- (iii) इसके अलावा, सार्वजनिक संस्थाओं को निधियन का जारी किया जाना अधिकारप्राप्त सशक्त समिति द्वारा अनुमोदित पद्धति के अनुसार होगा और संस्था पर अपनी कार्यान्वयन योजना में प्रस्तुत की वित्तीय और वास्तविक परिणामों को प्राप्त करने वाले संस्थाओं पर निर्भर करेगा। तथापि, यदि संस्था निधियों को पहले अवशोषित करने की क्षमता दिखाता है और यह अपेक्षित परिणाम प्रदान करने में सक्षम होता है, निधियों को अधिक तीव्र गति से अनुमत किया जाएगा।
- (iv) इन दिशा-निर्देशों के अधीन निधियन मौजूदा निधियन, जिसके लिए वे पात्र हैं, के अतिरिक्त होगा।
- (v) इन दिशा-निर्देशों के अधीन प्रदान की गई निधियों का भूमि की खरीदारी करने अथवा भूमि पट्टे पर लेने के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा।
- (vi) संस्था को उद्योग जगत अथवा पूर्व छात्रों अथवा अन्य दानदाताओं से संसाधन जुटाने और इसे किसी प्राधिकरण से अनुमति लिए बिना अपनी कार्यान्वयन योजना के अनुसार उपयोग में लाने की पूरी स्वतंत्रता होगी।
- (vii) इस अधिसूचना को जारी किए जाने के बाद भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास की उनकी 15 वर्षीय कार्यनीति योजनाओं के मद्देनजर, अपनी कार्यान्वयन योजनाओं का पालन करने के लिए अधिकारप्राप्त विशेषज्ञ समिति द्वारा नियमित समीक्षा की जाएगी।
- (viii) यह निगरानी और समीक्षा संस्थान के लगातार 2 वर्षों तक अथवा 15 वर्षों तक, जो भी पहले हो, प्रतिष्ठित विश्व रैंकिंग में शीर्ष सौ स्थान हासिल करने तक जारी रहेगी। वार्षिक समीक्षा का कार्य, प्रत्येक वर्ष जून तक पूरा कर लिया जाएगा।
- (ix) संस्था प्रत्येक वर्ष अधिकारप्राप्त विशेषज्ञ समिति को कार्यान्वयन और कार्यनीति योजनाओं में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में हुई प्रगति के संबंध में इस प्रकार जानकारी प्रदान करेगा जैसाकि समिति द्वारा विनिर्धारित किया गया हो।
- (x) प्रतिष्ठित संस्थाएं अपने कार्यान्वयन और कार्यनीति की योजनाओं से संबंधित सूचना की वार्षिक रिपोर्ट स्वयं तैयार करेंगी और इसे सार्वजनिक करेंगी।
- (xi) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास, दिशा-निर्देश 4.1 (xviii) के अनुसार इस अधिसूचना के जारी किए जाने से पांच वर्षों के भीतर प्रत्यायन प्राप्त कर लेगा।
- (xii) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास को राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क में गिना जाता रहेगा और अधिसूचना के 5 वर्ष के भीतर यह प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग इंडेक्स में रैंक प्राप्त कर लेगा। यह संस्थान, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग फ्रेमवर्क में रैंक प्राप्त करता रहेगा।
- (xiii) यदि संस्थान पांच और इसके बाद के वर्षों के अंत में लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाता और कार्यान्वयन योजना से, जैसी अधिकारप्राप्त विशेषज्ञ समिति द्वारा निर्धारित की गई है, काफी अधिक विचलन होता है, तो अधिकारप्राप्त विशेषज्ञ समिति, मानव संसाधन विकास मंत्रालय को इन दिशा-निर्देशों के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए सिफारिश करेगी।

वीएलवीएसएस सुब्बा राव
वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार

सं. एफ. 11/9/2019-यू3(ए)—जबकि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने मौजूदा सार्वजनिक संस्थाओं के 'प्रतिष्ठित संस्थाओं' के रूप में उन्नयन हेतु सार्वजनिक संस्थाओं के लिए यूजीसी (सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं की प्रतिष्ठित संस्थाओं के रूप में घोषणा) दिशा-निर्देश, 2017 जारी किए थे।

2. और जबकि, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय ने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय को 'प्रतिष्ठित समवत विश्वविद्यालय संस्थान का दर्जा प्रदान करने के लिए दिनांक 11.12.2017 को अपना आवेदन प्रस्तुत किया था।

3. और इसके अलावा जबकि, आवेदन को इस प्रयोजनार्थ गठित अधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति (ईईसी) को सौंपने हेतु यूजीसी को अग्रोषित कर दिया गया था। ईईसी ने संस्थान द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों साथ ही साथ ईईसी के समक्ष इसके द्वारा दी गई प्रस्तुतियों के आधार पर 07.12.2018 को इसका मूल्यांकन किया था और यूजीसी को प्रस्तुत किया था।

4. और जबकि, अधिकारप्राप्त विशेषज्ञ समिति ने समग्र मूल्यांकन करने के बाद, यूजीसी (सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं की प्रतिष्ठित संस्थाओं के रूप में घोषणा) दिशा-निर्देश, 2017 के अनुसार बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय को प्रतिष्ठित संस्थान का दर्जा प्रदान करने के लिए अनुशंसित किया था। यूजीसी द्वारा इसकी 02.07.2019 को आयोजित की गई 542वीं बैठक में अधिकारप्राप्त विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर विचार किया गया और इसे अनुमोदित किया गया था।

5. और इसके अलावा जबकि, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने यूजीसी और अधिकारप्राप्त विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर 'प्रतिष्ठित संस्थाओं' की योजना के तहत बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय को दिनांक 04.09.2019 को आदेश जारी किया था। संस्थान से विवरण और मूर्त कार्य योजना, लक्ष्यों और समय-सीमा का स्पष्ट उल्लेख करते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ किये जाने वाले समझौता ज्ञापन (एमओयू) का मसौदा प्रस्तुत करने के लिए भी कहा गया था, जिससे संस्थान प्रत्येक मानदंड प्राप्त करना चाहता है जैसाकि इसके आवेदन में अथवा अधिकारप्राप्त विशेषज्ञ समिति के समक्ष दिए गए अभ्यावेदन में उल्लेख है ताकि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय को बतौर प्रतिष्ठित संस्था घोषित करने की अधिसूचना जारी की जा सके।

6. और जबकि, उप-रजिस्ट्रार, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय ने अपना मसौदा समझौता ज्ञापन (एमओयू) इस मंत्रालय को ईमेल के माध्यम से 17.11.2019 को प्रस्तुत किया। मंत्रालय ने इसे यूजीसी को अधिकारप्राप्त विशेषज्ञ समिति के समक्ष रखने के लिए उनके विचारार्थ और अनुमोदनार्थ भेज दिया था।

7. और जबकि, यूजीसी ने दिनांक 13.01.2020 के पत्र सं. 2-5/2018(आईओई) के माध्यम से अधिकारप्राप्त विशेषज्ञ समिति द्वारा दिनांक 09.12.2019 को हुई अपनी बैठक में यथानुमोदित बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के समझौता ज्ञापन की एक प्रति प्रेषित की है।

8. और जबकि, अधिकारप्राप्त विशेषज्ञ समिति का अनुमोदन मिलने पर, मंत्रालय ने 17.02.2020 को बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

9. अतः अब, केंद्र सरकार, एतदद्वारा, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिकारप्राप्त विशेषज्ञ समिति और यूजीसी की सिफारिशों के आधार पर, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय को इस अधिसूचना के जारी किए जाने से 'प्रतिष्ठित समवत विश्वविद्यालय संस्था' घोषित करती है। यह घोषणा निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:

- (i) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय मौजूदा नियामक प्रावधानों के अनुसार, काम करता रहेगा जिसके तहत इसका सृजन किया गया है। संस्था को यूजीसी (सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं की प्रतिष्ठित संस्थाओं के रूप में घोषणा) दिशा-निर्देश, 2017 और यूजीसी (प्रतिष्ठित समवत विश्वविद्यालय संस्थाएं) विनियम, 2017 में दिया गया अतिरिक्त प्रोत्साहन भी दिया जाएगा।
- (ii) संस्थान को प्रतिष्ठित संस्थान घोषित किए जाने के वित्तीय वर्ष से पांच वर्षों की अवधि के लिए संस्थान को दी जाने वाली वित्तीय सहायता रुपये एक हजार करोड़ अथवा संस्थान की संभावित और विस्तृत योजनाओं की अपेक्षाओं का 50 से 75 प्रतिशत, जो भी कम हो, तक होगी। दी जाने वाली सटीक राशि और 50 से 75%, जो भी कम हो, के बैंड में सटीक प्रतिशत संस्थान के परिप्रेक्ष्य और विस्तृत योजना प्रस्ताव पर निर्भर करेगी और अधिकारप्राप्त विशेषज्ञ समिति द्वारा इसका मूल्यांकन किया जाएगा और इसे स्वीकार किया जाएगा।
- (iii) इसके अलावा, सार्वजनिक संस्थाओं को निधियन का जारी किया जाना अधिकारप्राप्त सशक्त समिति द्वारा अनुमोदित पद्धति के अनुसार होगा और संस्था पर अपनी कार्यान्वयन योजना में प्रस्तुत की वित्तीय और वास्तविक परिणामों को प्राप्त करने वाले संस्थाओं पर निर्भर करेगा। तथापि, यदि संस्था निधियों को पहले अवशोषित करने की क्षमता दिखाता है और यह अपेक्षित परिणाम प्रदान करने में सक्षम होता है, निधियों को अधिक तीव्र गति से अनुमत किया जाएगा।
- (iv) इन दिशा-निर्देशों के अधीन निधियन मौजूदा निधियन, जिसके लिए वे पात्र हैं, के अतिरिक्त होगा।
- (v) इन दिशा-निर्देशों के अधीन प्रदान की गई निधियों का भूमि की खरीदारी करने अथवा भूमि पट्टे पर लेने के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा।
- (vi) विश्वविद्यालय को उद्योग जगत अथवा पूर्व छात्रों अथवा अन्य दानदाताओं से संसाधन जुटाने और इसे किसी प्राधिकरण से अनुमति लिए बिना अपनी कार्यान्वयन योजना के अनुसार उपयोग में लाने की पूरी स्वतंत्रता होगी।

- (vii) इस अधिसूचना को जारी किए जाने के बाद बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय की उनकी 15 वर्षीय कार्यनीति योजनाओं के मद्देनजर, अपनी कार्यान्वयन योजनाओं का पालन करने के लिए अधिकारप्राप्त विशेषज्ञ समिति द्वारा नियमित समीक्षा की जाएगी।
- (viii) यह निगरानी और समीक्षा संस्थान के लगातार 2 वर्षों तक अथवा 15 वर्षों तक, जो भी पहले हो, प्रतिष्ठित विश्व रैंकिंग में शीर्ष सौ स्थान हासिल करने तक जारी रहेगी। वार्षिक समीक्षा का कार्य, प्रत्येक वर्ष जून तक पूरा कर लिया जाएगा।
- (ix) विश्वविद्यालय प्रत्येक वर्ष अधिकारप्राप्त विशेषज्ञ समिति को कार्यान्वयन और कार्यनीति योजनाओं में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में हुई प्रगति के संबंध में इस प्रकार जानकारी प्रदान करेगा जैसाकि समिति द्वारा विनिर्धारित किया गया हो।
- (x) प्रतिष्ठित संस्थाएं अपने कार्यान्वयन और कार्यनीति की योजनाओं से संबंधित सूचना की वार्षिक रिपोर्ट स्वयं तैयार करेंगी और इसे सार्वजनिक करेंगी।
- (xi) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, दिशा-निर्देश 4.1 (xviii) के अनुसार इस अधिसूचना के जारी किए जाने से पांच वर्षों के भीतर प्रत्यायन प्राप्त कर लेगा।
- (xii) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क में गिना जाता रहेगा और अधिसूचना के 5 वर्ष के भीतर यह प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग इंडेक्स में रैंक प्राप्त कर लेगा। यह संस्थान, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग फ्रेमवर्क में रैंक प्राप्त करता रहेगा।
- (xiii) यदि संस्था पांच और इसके बाद के वर्षों के अंत में लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाता और कार्यान्वयन योजना से, जैसी अधिकारप्राप्त विशेषज्ञ समिति द्वारा निर्धारित की गई है, काफी अधिक विचलन होता है, तो अधिकारप्राप्त विशेषज्ञ समिति, मानव संसाधन विकास मंत्रालय को इन दिशा-निर्देशों के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए सिफारिश करेगी।

वीएलवीएसएस सुब्बा राव
वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार

दिनांक 20 फरवरी 2020

सं. एफ. 11/9/2019-यू3(ए)—जबकि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने मौजूदा सार्वजनिक संस्थाओं के 'प्रतिष्ठित संस्थाओं' के रूप में उन्नयन हेतु सार्वजनिक संस्थाओं के लिए यूजीसी (सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं की प्रतिष्ठित संस्थाओं के रूप में घोषणा) दिशा-निर्देश, 2017 जारी किए थे।

2. और जबकि, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर को 'प्रतिष्ठित संस्थान' राष्ट्रीय महत्व संस्थान का दर्जा प्रदान करने के लिए दिनांक 11.12.2017 को अपना आवेदन प्रस्तुत किया था।

3. और इसके अलावा जबकि, आवेदन को, इस प्रयोजनार्थ गठित अधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति (ईईसी) को सौंपने हेतु यूजीसी को अग्रणी कर दिया गया था। ईईसी ने संस्थान द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों साथ ही साथ ईईसी के समक्ष इसके द्वारा दी गई प्रस्तुतियों के आधार पर 07.12.2018 को इसका मूल्यांकन किया था और यूजीसी को प्रस्तुत किया था।

4. और जबकि, अधिकारप्राप्त विशेषज्ञ समिति ने समग्र मूल्यांकन करने के बाद, यूजीसी (सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं की प्रतिष्ठित संस्थाओं के रूप में घोषणा) दिशा-निर्देश, 2017 के अनुसार भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर को प्रतिष्ठित संस्था का दर्जा प्रदान करने के लिए अनुशंसित किया था। यूजीसी द्वारा इसकी 02.07.2019 को आयोजित की गई 542वीं बैठक में अधिकारप्राप्त विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर विचार किया गया और इसे अनुमोदित किया गया था।

5. और इसके अलावा जबकि, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने यूजीसी और अधिकारप्राप्त विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर 'प्रतिष्ठित संस्थाओं' की योजना के तहत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर को दिनांक 04.09.2019 को आदेश जारी किया था। संस्थान से विवरण और मूर्त कार्य योजना, लक्ष्यों और समय-सीमा का स्पष्ट उल्लेख करते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ किये जाने वाले समझौता ज्ञापन (एमओयू) का मसौदा प्रस्तुत करने के लिए भी कहा गया था, जिससे संस्थान प्रत्येक मानदंड प्राप्त करना चाहता है जैसाकि इसके आवेदन में अथवा अधिकारप्राप्त विशेषज्ञ समिति के समक्ष दिए गए अभ्यावेदन में उल्लेख है ताकि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर को बतौर प्रतिष्ठित संस्था घोषित करने की अधिसूचना जारी की जा सके।

6. और जबकि, निदेशक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर ने अपना मसौदा समझौता जापन (एमओयू) इस मंत्रालय को ईमेल के माध्यम से 27.11.2019 को प्रस्तुत किया। मंत्रालय ने इसे यूजीसी को अधिकारप्राप्त विशेषज्ञ समिति के समक्ष रखने के लिए उनके विचारार्थ और अनुमोदनार्थ भेज दिया था।

7. और जबकि, यूजीसी ने अपने दिनांक 13.01.2020 के पत्र सं. 2-5/2018 (आईओई) के माध्यम से अधिकारप्राप्त विशेषज्ञ समिति द्वारा दिनांक 09.12.2019 को हुई अपनी बैठक में यथानुमोदित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के समझौता जापन की एक प्रति प्रेषित की है।

8. और जबकि, अधिकारप्राप्त विशेषज्ञ समिति का अनुमोदन मिलने पर, मंत्रालय ने 19.02.2020 को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के साथ समझौता जापन पर हस्ताक्षर किए थे।

9. अतः अब, केंद्र सरकार, एतद्वारा, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ईईसी एवं यूजीसी की सिफारिश पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर को इस अधिसूचना के जारी किए जाने से 'प्रतिष्ठित संस्था', राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करती है। यह घोषणा निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:

- (i) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर, मौजूदा नियामक प्रावधानों के अनुसार, काम करता रहेगा जिसके तहत इसका सृजन किया गया है। संस्था को यूजीसी (सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं की प्रतिष्ठित संस्थाओं के रूप में घोषणा) दिशा-निर्देश, 2017 और यूजीसी (प्रतिष्ठित समवत विश्वविद्यालय संस्थाएं) विनियम, 2017 में दिया गया अतिरिक्त प्रोत्साहन भी दिया जाएगा।
- (ii) संस्थान को प्रतिष्ठित संस्थान घोषित किए जाने के वित्तीय वर्ष से पांच वर्षों की अवधि के लिए संस्थान को दी जाने वाली वित्तीय सहायता रुपये एक हजार करोड़ अथवा संस्थान की संभावित और विस्तृत योजनाओं की अपेक्षाओं का 50 से 75 प्रतिशत, जो भी कम हो, तक होगी। दी जाने वाली सटीक राशि और 50 से 75%, जो भी कम हो, के बैंड में सटीक प्रतिशत संस्थान के परिप्रेक्ष्य और विस्तृत योजना प्रस्ताव पर निर्भर करेगी और अधिकारप्राप्त विशेषज्ञ समिति द्वारा इसका मूल्यांकन किया जाएगा और इसे स्वीकार किया जाएगा।
- (iii) इसके अलावा, सार्वजनिक संस्थाओं को निधियन का जारी किया जाना अधिकारप्राप्त सशक्त समिति द्वारा अनुमोदित पद्धति के अनुसार होगा और संस्था पर अपनी कार्यान्वयन योजना में प्रस्तुत की वित्तीय और वास्तविक परिणामों को प्राप्त करने वाले संस्थाओं पर निर्भर करेगा। तथापि, यदि संस्था निधियों को पहले अवशोषित करने की क्षमता दिखाता है और यह अपेक्षित परिणाम प्रदान करने में सक्षम होता है, निधियों को अधिक तीव्र गति से अनुमत किया जाएगा।
- (iv) इन दिशा-निर्देशों के अधीन निधियन मौजूदा निधियन, जिसके लिए वे पात्र है, के अतिरिक्त होगा।
- (v) इन दिशा-निर्देशों के अधीन प्रदान की गई निधियों का भूमि की खरीदारी करने अथवा भूमि पट्टे पर लेने के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा।
- (vi) संस्था को उद्योग जगत अथवा पूर्व छात्रों अथवा अन्य दानदाताओं से संसाधन जुटाने और इसे किसी प्राधिकरण से अनुमति लिए बिना अपनी कार्यान्वयन योजना के अनुसार उपयोग में लाने की पूरी स्वतंत्रता होगी।
- (vii) इस अधिसूचना को जारी किए जाने के बाद भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर की उनकी 15 वर्षीय कार्यनीति योजनाओं के मद्देनजर, अपनी कार्यान्वयन योजनाओं का पालन करने के लिए अधिकारप्राप्त विशेषज्ञ समिति द्वारा नियमित समीक्षा की जाएगी।
- (viii) यह निगरानी और समीक्षा संस्थान के लगातार 2 वर्षों तक अथवा 15 वर्षों तक, जो भी पहले हो, प्रतिष्ठित विश्व रैंकिंग में शीर्ष सौ स्थान हासिल करने तक जारी रहेगी। वार्षिक समीक्षा का कार्य, प्रत्येक वर्ष जून तक पूरा कर लिया जाएगा।
- (ix) संस्था प्रत्येक वर्ष अधिकारप्राप्त विशेषज्ञ समिति को कार्यान्वयन और कार्यनीति योजनाओं में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में हुई प्रगति के संबंध में इस प्रकार जानकारी प्रदान करेगा जैसाकि समिति द्वारा विनिर्धारित किया गया हो।
- (x) प्रतिष्ठित संस्थाएं अपने कार्यान्वयन और कार्यनीति की योजनाओं से संबंधित सूचना की वार्षिक रिपोर्ट स्वयं तैयार करेंगी और इसे सार्वजनिक करेंगी।
- (xi) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर, दिशा-निर्देश 4.1 (xviii) के अनुसार इस अधिसूचना के जारी किए जाने से पांच वर्षों के भीतर प्रत्यायन प्राप्त कर लेगा।
- (xii) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर, को राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क में गिना जाता रहेगा और अधिसूचना के 5 वर्ष के भीतर यह प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग इंडेक्स में रैंक प्राप्त कर लेगा। यह संस्थान, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग फ्रेमवर्क में रैंक प्राप्त करता रहेगा।

- (xiii) यदि संस्थान पांच और इसके बाद के वर्षों के अंत में लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाता और कार्यान्वयन योजना से, जैसी अधिकारप्राप्त विशेषज्ञ समिति द्वारा निर्धारित की गई है, काफी अधिक विचलन होता है, तो अधिकारप्राप्त विशेषज्ञ समिति, मानव संसाधन विकास मंत्रालय को इन दिशा-निर्देशों के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए सिफारिश करेगी।

वीएलवीएसएस सुब्बा राव

वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार

नई दिल्ली-01, दिनांक 2 मार्च 2020

सं. एफ. 11/9/2019-यू.3(ए)—जबकि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने मौजूदा सार्वजनिक संस्थाओं का 'प्रतिष्ठित संस्थाओं' के रूप में उन्नयन करने के लिए सार्वजनिक संस्थाओं के लिए यूजीसी (सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं की प्रतिष्ठित संस्थाओं के रूप में घोषणा) दिशा-निर्देश, 2017 जारी किए थे।

2. और जबकि, दिल्ली विश्वविद्यालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय को 'प्रतिष्ठित सम-विश्वविद्यालय संस्था' का दर्जा प्रदान करने के लिए दिनांक 11.12.2017 को अपना आवेदन प्रस्तुत किया था।

3. और इसके अलावा जबकि, आवेदन को, इस प्रयोजनार्थ गठित अधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति (ईईसी) को सौंपने हेतु यूजीसी को अग्रोषित कर दिया गया था। ईईसी ने संस्था द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों साथ ही साथ ईईसी के समक्ष दी गई प्रस्तुतियों के आधार पर मूल्यांकन किया था और दिनांक 07.12.2018 को यूजीसी को प्रस्तुत किया था।

4. और जबकि, अधिकारप्राप्त विशेषज्ञ समिति ने समग्र मूल्यांकन करने के बाद, यूजीसी (सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं की प्रतिष्ठित संस्थाओं के रूप में घोषणा) दिशा-निर्देश, 2017 के अनुसार दिल्ली विश्वविद्यालय को प्रतिष्ठित संस्था का दर्जा प्रदान करने के लिए अनुशंसित किया था। यूजीसी द्वारा इसकी 02.07.2019 को आयोजित की गई 542वीं बैठक में अधिकारप्राप्त विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर विचार किया गया और इसे अनुमोदित किया गया।

5. और इसके अलावा जबकि, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने यूजीसी और अधिकारप्राप्त विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर दिल्ली विश्वविद्यालय का 'प्रतिष्ठित संस्था' के रूप में अभिनिर्धारण करने के लिए दिनांक 04.09.2019 को आदेश जारी किया था। संस्थान से विवरण और मूर्त कार्य योजना, लक्ष्यों और समय-सीमा का स्पष्ट उल्लेख करते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ किये जाने वाले समझौता ज्ञापन (एमओयू) का मसौदा प्रस्तुत करने के लिए भी कहा गया था, जिससे संस्था प्रत्येक मानदंड प्राप्त करना चाहती है जैसा कि इसके आवेदन में और अधिकारप्राप्त विशेषज्ञ समिति के समक्ष दी गई प्रस्तुति में उल्लेख है ताकि दिल्ली विश्वविद्यालय को बतौर प्रतिष्ठित संस्था घोषित करने की अधिसूचना जारी की जा सके।

6. और जबकि, सदस्य सचिव, दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपना मसौदा समझौता ज्ञापन (एमओयू) इस मंत्रालय को ई-मेल के माध्यम से 28.11.2019 को प्रस्तुत किया। मंत्रालय ने इसे यूजीसी को अधिकारप्राप्त विशेषज्ञ समिति के समक्ष रखने के लिए उनके विचारार्थ और अनुमोदनार्थ भेज दिया था।

7. और जबकि, यूजीसी ने अपने दिनांक 13.01.2020 के पत्र सं. 2-5/2018(आईओई) के माध्यम से अपनी दिनांक 09.12.2019 को आयोजित बैठक में ईईसी द्वारा अनुमोदित दिल्ली विश्वविद्यालय के समझौता ज्ञापन की प्रति अग्रोषित की है।

8. और जबकि, अधिकारप्राप्त विशेषज्ञ समिति का अनुमोदन मिलने पर, मंत्रालय ने 27.02.2020 को दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

9. अतः अब, केंद्र सरकार, एतद्वारा, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और ईईसी एवं यूजीसी की सिफारिश पर दिल्ली विश्वविद्यालय को इस अधिसूचना के जारी किए जाने से 'प्रतिष्ठित समवत विश्वविद्यालय संस्था' घोषित करती है। यह घोषणा निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:

- (i) दिल्ली विश्वविद्यालय मौजूदा नियामक प्रावधानों के अनुसार, काम करता रहेगा जिसके तहत इसका सृजन किया गया है। विश्वविद्यालय को यूजीसी (सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं की प्रतिष्ठित संस्थाओं के रूप में घोषणा) दिशा-निर्देश, 2017 और यूजीसी (प्रतिष्ठित समवत विश्वविद्यालय संस्थाएं) विनियम, 2017 में भी दिया गया अतिरिक्त प्रोत्साहन भी दिया जाएगा।
- (ii) संस्थान को प्रतिष्ठित संस्थान घोषित किए जाने के वित्तीय वर्ष से पांच वर्षों की अवधि के लिए संस्थान को दी जाने वाली वित्तीय सहायता रुपये एक हजार करोड़ अथवा संस्थान की संभावित और विस्तृत योजनाओं की अपेक्षाओं का 50 से 75 प्रतिशत, जो भी कम हो, तक होगी। दी जाने वाली सटीक राशि और 50 से 75%, जो भी कम हो, के बैंड में सटीक प्रतिशत संस्थान के

परिप्रेक्ष्य और विस्तृत योजना प्रस्ताव पर निर्भर करेगी और अधिकारप्राप्त विशेषज्ञ समिति द्वारा इसका मूल्यांकन किया जाएगा और इसे स्वीकार किया जाएगा।

- (iii) इसके अलावा, सार्वजनिक संस्था को प्रदान की गई वार्षिक राशि ईईसी द्वारा अनुमोदित फार्मुला के अनुसार और संस्था द्वारा इसकी कार्यान्वयन योजना में निर्धारित वित्तीय और वास्तविक परिणामों को प्राप्त करने पर निर्भर करेगी। तथापि, यदि संस्थान निधियों को पहले अवशोषित करने की क्षमता दिखाता है और यह अपेक्षित परिणाम प्रदान करने में सक्षम होता है, निधियों को अधिक तीव्र गति से भी अनुमत किया जाएगा।
- (iv) इन दिशा-निर्देशों के अधीन निधियन मौजूदा निधियन, जिसके लिए वे पात्र है, के अतिरिक्त होगा।
- (v) इन दिशा-निर्देशों के अधीन प्रदान की गई निधियों का भूमि की खरीदारी करने अथवा भूमि पट्टे पर लेने के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा।
- (vi) विश्वविद्यालय को उद्योग जगत अथवा पूर्व छात्रों अथवा अन्य दानदाताओं से संसाधन जुटाने और इसे किसी प्राधिकरण से अनुमति लिए बिना अपनी कार्यान्वयन योजना के अनुसार उपयोग में लाने की पूरी स्वतंत्रता होगी।
- (vii) इस अधिसूचना को जारी किए जाने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय की उनकी 15 वर्षीय कार्यनीति योजनाओं के मद्देनजर, अपनी कार्यान्वयन योजनाओं का पालन करने के लिए अधिकारप्राप्त विशेषज्ञ समिति द्वारा नियमित समीक्षा की जाएगी।
- (viii) यह निगरानी और समीक्षा विश्वविद्यालय के लगातार 2 वर्षों तक अथवा 15 वर्षों तक, जो भी पहले हो, प्रतिष्ठित विश्व रैंकिंग में शीर्ष सौ स्थान हासिल करने तक जारी रहेगी। वार्षिक समीक्षा का कार्य, प्रत्येक वर्ष जून तक पूरा कर लिया जाएगा।
- (ix) विश्वविद्यालय प्रत्येक वर्ष अधिकारप्राप्त विशेषज्ञ समिति को कार्यान्वयन और कार्यनीति योजनाओं में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में हुई प्रगति के संबंध में इस प्रकार जानकारी प्रदान करेगा जैसाकि समिति द्वारा विनिर्धारित किया गया हो।
- (x) प्रतिष्ठित संस्थाएं अपने कार्यान्वयन और कार्य नीति की योजनाओं से संबंधित सूचना की वार्षिक रिपोर्ट स्वयं तैयार करेंगी और इसे सार्वजनिक करेंगी।
- (xi) दिल्ली विश्वविद्यालय दिशा-निर्देश 4.1 (xviii) के अनुसार इस अधिसूचना के जारी किए जाने से 5 वर्षों के भीतर प्रत्यायन प्राप्त कर लेगा।
- (xii) दिल्ली विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क में गिना जाता रहेगा और अधिसूचना के 5 वर्ष के भीतर यह प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग इंडेक्स में रैंक प्राप्त कर लेगा। यह संस्था, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग फ्रेमवर्क में रैंक प्राप्त करता रहेगा।
- (xiii) यदि संस्था पांच और इसके बाद के वर्षों के अंत में लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाता और कार्यान्वयन योजना से, जैसी अधिकारप्राप्त विशेषज्ञ समिति द्वारा निर्धारित की गई है, काफी अधिक विचलन होता है, अधिकारप्राप्त विशेषज्ञ समिति, मानव संसाधन विकास मंत्रालय को इन दिशा-निर्देशों के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए सिफारिश करेगी।

चन्द्र शेखर कुमार
संयुक्त सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 26th January 2020

No. 03-Pers/2020—The President of India is pleased to approve the conferment of the Jeevan Raksha Padak series of awards for the year 2019 on the following persons:—

Sarvottam Jeevan Raksha Padak

1. Master Firoos. E.P. (Posthumous), Kerala
2. Shri Mahehs Pandurang Sable, Maharashtra
3. Shri Spainlions L. Gadew (Posthumous), Meghalaya
4. Shri Lalrempuia (Posthumous), Mizoram
5. Shri Manjeet Singh (Posthumous), Haryana
6. Shri Packiya Raj M, Jammu and Kashmir
7. Shri Jagbir Singh (Posthumous), Haryana

Uttam Jeevan Raksha Padak

1. Shri Meesala Anand, Andhra Pradesh
2. Shri Jeevan Antony, Kerala
3. Smt. Saritha K., Kerala
4. Shri Kamaldev N.M., Kerala
5. Master Shammas V.P., Kerala
6. Shri C. Lianhawla, Mizoram
7. Shri Shivcharan Singh, Rajasthan
8. Shri Mukesh Kumar Meena, Rajasthan

Jeevan Raksha Padak

1. Shri Gundapu Rajesh, Andhra Pradesh
2. Shri Dineshbhai Narshinh Bhai Vasava, Gujarat
3. Shri Firozbhai Fatubhai Multani, Gujarat
4. Shri Pranvirsinh Chandansingh Sarvaiya, Gujarat
5. Shri Pruthvirajsinh Ranjitsinh Jadeja, Gujarat
6. Shri Shravankumar Chandubhai Vasava, Gujarat
7. Shri Mohd. Younis Awan, Jammu and Kashmir
8. Shri Zakir Hussain, Jammu and Kashmir
9. Shri Maqsood Ahmed, Jammu and Kashmir
10. Shri Shabir Ahmad Dar, Jammu and Kashmir
11. Master Anchal P.P., Kerala
12. Shri Rahul Jat, Madhya Pradesh
13. Shri Nadeem Khan, Madhya Pradesh
14. Shri Sanjeev Dhakad, Madhya Pradesh
15. Shri Rakesh Tiwari, Madhya Pradesh
16. Shri Lokesh Gathe, Madhya Pradesh
17. Shri Tahzib Kazi, Madhya Pradesh
18. Master Everbloom K. Nongrum, Meghalaya
19. Master Nihi Freddy War, Meghalaya
20. Shri Lalawmpuia, Mizoram

21. Shri R. Sridhar, Tamil Nadu
22. Shri Mamlesh Singh, Uttarakhand
23. Shri Vinod Thapliyal, Uttarakhand
24. Shri Kunwar Divyansh Singh, Uttar Pradesh
25. Shri M. Samayamuthu, Andaman and Nicobar
26. Shri Mahesh Singh Gurjar, Rajasthan
27. Shri Inderjeet Singh, Delhi
28. Shri Pankaj Kala, Haryana
29. Shri Reuben B. Malsawmtluanga, Himachal Pradesh
30. Shri N. Karthikeyan, Maharashtra
31. Shri Prashant Kumar, Uttar Pradesh
32. Shri Mukesh Kumar, Andhra Pradesh
33. Shri Ashutosh Sharma, Kerala
34. Master Siddappa Kempanna Hosatti, Karnataka
35. Master Shivanand Dasharath Hosatti, Karnataka
36. Kumari Pramod Balasaheb Devdhe, Maharashtra
37. Master Shivraj Ramchandra Bhandarwad, Maharashtra
38. Shri Tengale Dattatray Suresh, Maharashtra
39. Shri Vishal Panjabrao Potkatore, Chhattisgarh

P. PRAVEEN SIDDHARTH
Officer on Special Duty

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi-01, the 17th February 2020

No. F.11/9/2019-U3(A)—Whereas, the University Grants Commission (UGC) had issued the UGC (Declaration of Government Educational Institutions as Institutions of Eminence) Guidelines, 2017 for public institutions for up-gradation of existing public Institutions as ‘Institutions of Eminence’.

2. And whereas, University of Hyderabad submitted its application on 12.12.2017 for conferment of ‘Institution of Eminence Deemed to be University’ status to University of Hyderabad.

3. And further whereas, the application was forwarded to UGC for entrusting it to Empowered Expert Committee (EEC) constituted for the purpose. The EEC conducted its appraisal and submitted it to UGC on 07.12.2018 based on the documents submitted by the University as well as the presentations made by it before EEC.

4. And whereas, the EEC, after overall assessment, recommended the name of University of Hyderabad to be conferred with the status of Institution of Eminence as per UGC (Declaration of Government Educational Institutions as Institutions of Eminence) Guidelines, 2017. The report of Empowered Expert Committee was considered and approved by the UGC in its 542nd meeting held on 02.07.2019.

5. And further whereas, the Ministry of Human Resource Development, on the recommendation of UGC and EEC, issued Order on 04.09.2019 identifying the name of University of Hyderabad under the scheme of Institutions of Eminence. The University was also asked to submit the draft Memorandum of Understanding (MoU) to be signed with the Ministry of Human Resource Development clearly mentioning the detailed and tangible action plan, milestones and timelines by which it seeks to achieve each of the parameters as submitted in its application and presentation made by it before the Empowered Expert Committee so that Notification declaring University of Hyderabad as Institutions of Eminence may be issued.

6. And whereas, Registrar, University of Hyderabad submitted its draft Memorandum of Undertaking (MoU) to this Ministry through his email on 20.11.2019. The Ministry forwarded the same to UGC for placing it before EEC for consideration and approval.

7. And whereas, the UGC vide its letter No. 2-5/2018(IoE) dated 13.01.2020 has sent a copy of the MOU of University of Hyderabad as approved by EEC in its meeting held on 09.12.2019.

8. And whereas, upon approval of the EEC, the Ministry signed the MoU with University of Hyderabad on 17.02.2020.

9. Now therefore, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956. The Central Government, on the recommendations of EEC & UGC, hereby declare University of Hyderabad as an 'Institution of Eminence Deemed to be University' with effect from the issuance of this Notification. This declaration is subject to the following conditions:

- i. University of Hyderabad will continue to function as per the existing regulatory provisions under which it has been created. The University will get the additional incentives given in UGC (Declaration of Government Educational Institutions as Institutions of Eminence) Guidelines, 2017 and also given in UGC (Institutions of Eminence Deemed to be Universities) Regulations, 2017.
- ii. The financial assistance would be up to an amount of Rupees One thousand Crore or 50 to 75% of the requirement projected in the perspective and detailed plans of the Institution, whichever is less, in a span of five years starting from the financial year of declaration of Institute as Institution of Eminence. The exact amount to be given and the exact percentage in the 50 to 75% band would depend on the perspective and detailed plan proposal of the institution and assessed and accepted by the Empowered Expert Committee.
- iii. Further, annual release of funding to the public institution would be as per formula approved by EEC and also dependent on the institutions achieving the financial and physical outcomes laid down in its implementation plan. However, if the institution shows capacity to absorb the funds earlier and is able to give the expected outcomes, an accelerated pace of funding would also be allowed.
- iv. The funding under these guidelines would be in addition to the existing funding to which they are entitled to.
- v. The funds provided under these guidelines shall not be used for purchase of any land or taking land on lease.
- vi. The University would have the full freedom to mobilize resources from the industry or alumni or other donors and utilize it in accordance with its implementation plan without having to seek any permission from any authority.
- vii. University of Hyderabad shall be reviewed by the EEC regularly after issuance of this Notification for adherence to its implementation plans, keeping in view their fifteen year strategic plans.
- viii. The monitoring and review shall continue till the University gets into top hundred in a world ranking of repute for two consecutive years or till fifteen years, whichever is earlier. The annual review exercise shall be completed by June each year.
- ix. The University shall inform the EEC every year on the progress made in realising the goals laid out in the implementation and strategic plans in a manner so prescribed by the Committee.
- x. The Institutions of Eminence shall annually self-report and publicly display the information relating to compliance with their implementation and strategic plans.
- xi. University of Hyderabad shall get accreditation within five years of the Notification in terms of Guideline 4.1 (xviii).
- xii. University of Hyderabad shall continue to be ranked in the National Institutional Ranking Framework and within five years of Notification, shall get itself ranked in an International Ranking index of repute. The Institution shall continue to be ranked in the National and International ranking frameworks.
- xiii. If the Institution is unable to meet the goals at the end of fifth and subsequent years, and there are grave deviations, as determined by the EEC, from the implementation plan, the EEC will recommend to the Ministry of Human Resource Development for taking appropriate action as per these Guidelines.

VLVSS SUBBA RAO
Senior Economic Adviser

No. F.11/9/2019-U3(A)—Whereas, the University Grants Commission (UGC) had issued the UGC (Declaration of Government Educational Institutions as Institutions of Eminence) Guidelines, 2017 for public institutions for up-gradation of existing public Institutions as 'Institutions of Eminence'.

2. And whereas, Indian Institute of Technology, Madras submitted its application on 11.12.2017 for conferment of 'Institution of Eminence', the Institute of National Importance status to Indian Institute of Technology, Madras.

3. And further whereas, the application was forwarded to UGC for entrusting it to Empowered Expert Committee (EEC) constituted for the purpose. The EEC conducted its appraisal and submitted it to UGC on 07.12.2018 based on the documents submitted by the Institute as well as the presentations made by it before EEC.

4. And whereas, the EEC, after overall assessment, recommended the name of Indian Institute of Technology, Madras to be conferred with the status of Institution of Eminence as per UGC (Declaration of Government Educational Institutions as Institutions of Eminence) Guidelines, 2017. The report of Empowered Expert Committee was considered and approved by the UGC in its 542nd meeting held on 02.07.2019.

5. And further whereas, the Ministry of Human Resource Development, on the recommendation of UGC and EEC, issued Order on 04.09.2019 identifying the name of Indian Institute of Technology, Madras under the scheme of Institutions of Eminence. The Institution was also asked to submit the draft Memorandum of Understanding (MoU) to be signed with the Ministry of Human Resource Development clearly mentioning the detailed and tangible action plan, milestones and timelines by which it seeks to achieve each of the parameters as submitted in its application and presentation made by it before the Empowered Expert Committee so that Notification declaring Indian Institute of Technology, Madras as Institutions of Eminence may be issued.

6. And whereas, Director, Indian Institute of Technology, Madras submitted its draft Memorandum of Undertaking (MoU) to this Ministry through his email on 26.11.2019. The Ministry forwarded the same to UGC for placing it before EEC for consideration and approval.

7. And whereas, the UGC vide its letter No. 2-5/2018(IoE) dated 13.01.2020 has sent a copy of the MoU of Indian Institute of Technology, Madras as approved by EEC in its meeting held on 09.12.2019.

8. And whereas, upon approval of the EEC, the Ministry signed the MoU with Indian Institute of Technology, Madras on 17.02.2020.

9. Now therefore, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956. the Central Government, on the recommendations of EEC & UGC, hereby declare Indian Institute of Technology, Madras as an 'Institution of Eminence' the Institute of National Importance with effect from the issuance of this Notification. This declaration is subject to the following conditions:

- i. Indian Institute of Technology, Madras will continue to function as per the existing regulatory provisions under which it has been created. The Institution will get the additional incentives given in UGC (Declaration of Government Educational Institutions as Institutions of Eminence) Guidelines, 2017 and also given in UGC (Institutions of Eminence Deemed to be Universities) Regulations, 2017.
- ii. The financial assistance would be up to an amount of Rupees One thousand Crore or 50 to 75% of the requirement projected in the perspective and detailed plans of the Institution, whichever is less, in a span of five years starting from the financial year of declaration of Institute as Institution of Eminence. The exact amount to be given and the exact percentage in the 50 to 75% band would depend on the perspective and detailed plan proposal of the institution and assessed and accepted by the Empowered Expert Committee.
- iii. Further, annual release of funding to the public institution would be as per the formula approved by EEC and also dependent on the institutions achieving the financial and physical outcomes laid down in its implementation plan. However, if the institution shows capacity to absorb the funds earlier and is able to give the expected outcomes, an accelerated pace of funding would also be allowed.
- iv. The funding under these guidelines would be in addition to the existing funding to which they are entitled to.
- v. The funds provided under these guidelines shall not be used for purchase of any land or taking land on lease.
- vi. The Institution would have the full freedom to mobilize resources from the industry or alumni or other donors and utilize it in accordance with its implementation plan without having to seek any permission from any authority.
- vii. Indian Institute of Technology, Madras shall be reviewed by the EEC regularly after issuance of this Notification for adherence to its implementation plans, keeping in view their fifteen year strategic plans.
- viii. The monitoring and review shall continue till the Institution gets into top hundred in a world ranking of repute for two consecutive years or till fifteen years, whichever is earlier. The annual review exercise shall be completed by June each year.
- ix. The Institution shall inform the EEC every year on the progress made in realising the goals laid out in the implementation and strategic plans in a manner so prescribed by the Committee.
- x. The Institutions of Eminence shall annually self-report and publicly display the information relating to compliance with their implementation and strategic plans.
- xi. Indian Institute of Technology, Madras shall get accreditation within five years of the Notification in terms of Guideline 4.1 (xviii).
- xii. Indian Institute of Technology, Madras shall continue to be ranked in the National Institutional Ranking Framework and within five years of Notification, shall get itself ranked in an International Ranking index of repute. The Institution shall continue to be ranked in the National and International ranking frameworks.

- xiii. If the Institution is unable to meet the goals at the end of fifth and subsequent years, and there are grave deviations, as determined by the EEC, from the implementation plan, the EEC will recommend to the Ministry of Human Resource Development for taking appropriate action as per these Guidelines.

VLVSS SUBBA RAO
Senior Economic Adviser

No. F.11/9/2019-U3(A)—Whereas, the University Grants Commission (UGC) had issued the UGC (Declaration of Government Educational Institutions as Institutions of Eminence) Guidelines, 2017 for public institutions for up-gradation of existing public Institutions as ‘Institutions of Eminence’.

2. And whereas, Banaras Hindu University submitted its application on 11.12.2017 for conferment of ‘Institution of Eminence Deemed to be University’ status to Banaras Hindu University.

3. And further whereas, the application was forwarded to UGC for entrusting it to Empowered Expert Committee (EEC) constituted for the purpose. The EEC conducted its appraisal and submitted it to UGC on 07.12.2018 based on the documents submitted by the University as well as the presentations made by it before EEC.

4. And whereas, the EEC, after overall assessment, recommended the name of Banaras Hindu University to be conferred with the status of Institution of Eminence as per UGC (Declaration of Government Educational Institutions as Institutions of Eminence) Guidelines, 2017. The report of Empowered Expert Committee was considered and approved by the UGC in its 542nd meeting held on 02.07.2019.

5. And further whereas, the Ministry of Human Resource Development, on the recommendation of UGC and EEC, issued Order on 04.09.2019 identifying the name of Banaras Hindu University under the scheme of Institutions of Eminence. The University was also asked to submit the draft Memorandum of Understanding (MoU) to be signed with the Ministry of Human Resource Development clearly mentioning the detailed and tangible action plan, milestones and timelines by which it seeks to achieve each of the parameters as submitted in its application and presentation made by it before the Empowered Expert Committee so that Notification declaring Banaras Hindu University as Institutions of Eminence may be issued.

6. And whereas, Deputy Registrar, Banaras Hindu University submitted its draft Memorandum of Undertaking (MoU) to this Ministry through his email on 17.11.2019. The Ministry forwarded the same to UGC for placing it before EEC for consideration and approval.

7. And whereas, the UGC vide its letter No. 2-5/2018(IoE) dated 13.01.2020 has sent a copy of the MOU of Banaras Hindu University as approved by EEC in its meeting held on 09.12.2019.

8. And whereas, upon approval of the EEC, the Ministry signed the MoU with Banaras Hindu University on 17.02.2020.

9. Now therefore, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956. The Central Government, on the recommendations of EEC & UGC, hereby declare Banaras Hindu University as an ‘Institution of Eminence Deemed to be University’ with effect from the issuance of this Notification. This declaration is subject to the following conditions:

- i. Banaras Hindu University will continue to function as per the existing regulatory provisions under which it has been created. The University will get the additional incentives given in UGC (Declaration of Government Educational Institutions as Institutions of Eminence) Guidelines, 2017 and also given in UGC (Institutions of Eminence Deemed to be Universities) Regulations, 2017.
- ii. The financial assistance would be up to an amount of Rupees One thousand Crore or 50 to 75% of the requirement projected in the perspective and detailed plans of the Institution, whichever is less, in a span of five years starting from the financial year of declaration of Institute as Institution of Eminence. The exact amount to be given and the exact percentage in the 50 to 75% band would depend on the perspective and detailed plan proposal of the institution and assessed and accepted by the Empowered Expert Committee.
- iii. Further, annual release of funding to the public institution would be as per the formula approved by EEC and also dependent on the institutions achieving the financial and physical outcomes laid down in its implementation plan. However, if the institution shows capacity to absorb the funds earlier and is able to give the expected outcomes, an accelerated pace of funding would also be allowed.
- iv. The funding under these guidelines would be in addition to the existing funding to which they are entitled to.
- v. The funds provided under these guidelines shall not be used for purchase of any land or taking land on lease.

- vi. The University would have the full freedom to mobilize resources from the industry or alumni or other donors and utilize it in accordance with its implementation plan without having to seek any permission from any authority.
- vii. Banaras Hindu University shall be reviewed by the EEC regularly after issuance of this Notification for adherence to its implementation plans, keeping in view their fifteen year strategic plans.
- viii. The monitoring and review shall continue till the University gets into top hundred in a world ranking of repute for two consecutive years or till fifteen years, whichever is earlier. The annual review exercise shall be completed by June each year.
- ix. The University shall inform the EEC every year on the progress made in realising the goals laid out in the implementation and strategic plans in a manner so prescribed by the Committee.
- x. The Institutions of Eminence shall annually self-report and publicly display the information relating to compliance with their implementation and strategic plans.
- xi. Banaras Hindu University shall get accreditation within five years of the Notification in terms of Guideline 4.1 (xviii).
- xii. Banaras Hindu University shall continue to be ranked in the National Institutional Ranking Framework and within five years of Notification, shall get itself ranked in an International Ranking index of repute. The Institution shall continue to be ranked in the National and International ranking frameworks.
- xiii. If the Institution is unable to meet the goals at the end of fifth and subsequent years, and there are grave deviations, as determined by the EEC, from the implementation plan, the EEC will recommend to the Ministry of Human Resource Development for taking appropriate action as per these Guidelines.

VLVSS SUBBA RAO
Senior Economic Adviser

The 20th February 2020

No. F.11/9/2019-U3(A)—Whereas, the University Grants Commission (UGC) had issued the UGC (Declaration of Government Educational Institutions as Institutions of Eminence) Guidelines, 2017 for public institutions for up-gradation of existing public Institutions as ‘Institutions of Eminence’.

2. And whereas, Indian Institute of Technology, Kharagpur submitted its application on 11.12.2017 for conferment of ‘Institution of Eminence’, the Institute of National Importance status to Indian Institute of Technology, Kharagpur.

3. And further whereas, the application was forwarded to UGC for entrusting it to Empowered Expert Committee (EEC) constituted for the purpose. The EEC conducted its appraisal and submitted it to UGC on 07.12.2018 based on the documents submitted by the Institute as well as the presentations made by it before EEC.

4. And whereas, the EEC, after overall assessment, recommended the name of Indian Institute of Technology, Kharagpur to be conferred with the status of Institution of Eminence as per UGC (Declaration of Government Educational Institutions as Institutions of Eminence) Guidelines, 2017. The report of Empowered Expert Committee was considered and approved by the UGC in its 542nd meeting held on 02.07.2019.

5. And further whereas, the Ministry of Human Resource Development, on the recommendation of UGC and EEC, issued Order on 04.09.2019 identifying the name of Indian Institute of Technology, Kharagpur under the scheme of Institutions of Eminence. The Institution was also asked to submit the draft Memorandum of Understanding (MoU) to be signed with the Ministry of Human Resource Development clearly mentioning the detailed and tangible action plan, milestones and timelines by which it seeks to achieve each of the parameters as submitted in its application and presentation made by it before the Empowered Expert Committee so that Notification declaring Indian Institute of Technology, Kharagpur as Institutions of Eminence may be issued.

6. And whereas, Director, Indian Institute of Technology, Kharagpur submitted its draft Memorandum of Undertaking (MoU) to this Ministry through his email on 27.11.2019. The Ministry forwarded the same to UGC for placing it before EEC for consideration and approval.

7. And whereas, the UGC vide its letter No. 2-5/2018(IoE) dated 13.01.2020 has sent a copy of the MoU of Indian Institute of Technology, Kharagpur as approved by EEC in its meeting held on 09.12.2019.

8. And whereas, upon approval of the EEC, the Ministry signed the MoU with Indian Institute of Technology, Kharagpur on 19.02.2020.

9. Now therefore, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956. the Central Government, on the recommendations of EEC & UGC, hereby declare Indian Institute of Technology, Kharagpur as an ‘Institution of Eminence’ the Institute of National Importance with effect from the issuance of this Notification. This declaration is subject to the following conditions:

- i. Indian Institute of Technology, Kharagpur will continue to function as per the existing regulatory provisions under which it has been created. The Institution will get the additional incentives given in UGC (Declaration of Government Educational Institutions as Institutions of Eminence) Guidelines, 2017 and also given in UGC (Institutions of Eminence Deemed to be Universities) Regulations, 2017.
- ii. The financial assistance would be up to an amount of Rupees One thousand Crore or 50 to 75% of the requirement projected in the perspective and detailed plans of the Institution, whichever is less, in a span of five years starting from the financial year of declaration of Institute as Institution of Eminence. The exact amount to be given and the exact percentage in the 50 to 75% band would depend on the perspective and detailed plan proposal of the institution and assessed and accepted by the Empowered Expert Committee.
- iii. Further, annual release of funding to the public institution would be as per the formula approved by EEC and also dependent on the institutions achieving the financial and physical outcomes laid down in its implementation plan. However, if the institution shows capacity to absorb the funds earlier and is able to give the expected outcomes, an accelerated pace of funding would also be allowed.
- iv. The funding under these guidelines would be in addition to the existing funding to which they are entitled to.
- v. The funds provided under these guidelines shall not be used for purchase of any land or taking land on lease.
- vi. The Institution would have the full freedom to mobilize resources from the industry or alumni or other donors and utilize it in accordance with its implementation plan without having to seek any permission from any authority.
- vii. Indian Institute of Technology, Kharagpur shall be reviewed by the EEC regularly after issuance of this Notification for adherence to its implementation plans, keeping in view their fifteen year strategic plans.
- viii. The monitoring and review shall continue till the Institution gets into top hundred in a world ranking of repute for two consecutive years or till fifteen years, whichever is earlier. The annual review exercise shall be completed by June each year.
- ix. The Institution shall inform the EEC every year on the progress made in realising the goals laid out in the implementation and strategic plans in a manner so prescribed by the Committee.
- x. The Institutions of Eminence shall annually self-report and publicly display the information relating to compliance with their implementation and strategic plans.
- xi. Indian Institute of Technology, Kharagpur shall get accreditation within five years of the Notification in terms of Guideline 4.1 (xviii).
- xii. Indian Institute of Technology, Kharagpur shall continue to be ranked in the National Institutional Ranking Framework and within five years of Notification, shall get itself ranked in an International Ranking index of repute. The Institution shall continue to be ranked in the National and International ranking frameworks.
- xiii. If the Institution is unable to meet the goals at the end of fifth and subsequent years, and there are grave deviations, as determined by the EEC, from the implementation plan, the EEC will recommend to the Ministry of Human Resource Development for taking appropriate action as per these Guidelines.

VLVSS SUBBA RAO
Senior Economic Adviser

New Delhi-01, the 2nd March 2020

No. F.11/9/2019-U3(A)—Whereas, the University Grants Commission (UGC) had issued the UGC (Declaration of Government Educational Institutions as Institutions of Eminence) Guidelines, 2017 for public institutions for up-gradation of existing public Institutions as ‘Institutions of Eminence’.

2. And whereas, University of Delhi submitted its application on 11.12.2017 for conferment of ‘Institution of Eminence Deemed to be University’ status to University of Delhi.

3. And further whereas, the application was forwarded to UGC for entrusting it to Empowered Expert Committee (EEC) constituted for the purpose. The EEC conducted its appraisal and submitted it to UGC on 07.12.2018 based on the documents submitted by the University as well as the presentations made by it before EEC.

4. And whereas, the EEC, after overall assessment, recommended the name of University of Delhi to be conferred with the status of Institution of Eminence as per UGC (Declaration of Government Educational Institutions as Institutions of Eminence) Guidelines, 2017. The report of Empowered Expert Committee was considered and approved by the UGC in its 542nd meeting held on 02.07.2019.

5. And further whereas, the Ministry of Human Resource Development, on the recommendation of UGC and EEC, issued Order on 04.09.2019 identifying the name of University of Delhi under the scheme of Institutions of Eminence. The

University was also asked to submit the draft Memorandum of Understanding (MoU) to be signed with the Ministry of Human Resource Development clearly mentioning the detailed and tangible action plan, milestones and timelines by which it seeks to achieve each of the parameters as submitted in its application and presentation made by it before the Empowered Expert Committee so that Notification declaring University of Delhi as Institutions of Eminence may be issued.

6. And whereas, Registrar, University of Delhi submitted its draft Memorandum of Undertaking (MoU) to this Ministry through his email on 20.11.2019. The Ministry forwarded the same to UGC for placing it before EEC for consideration and approval.

7. And whereas, the UGC vide its letter No. 2-5/2018(IoE) dated 13.01.2020 has sent a copy of the MOU of University of Delhi as approved by EEC in its meeting held on 09.12.2019.

8. And whereas, upon approval of the EEC, the Ministry signed the MoU with University of Delhi on 27.02.2020.

9. Now therefore, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956. The Central Government, on the recommendations of EEC & UGC, hereby declare University of Delhi as an 'Institution of Eminence Deemed to be University' with effect from the issuance of this Notification. This declaration is subject to the following conditions:

- i. University of Delhi will continue to function as per the existing regulatory provisions under which it has been created. The University will get the additional incentives given in UGC (Declaration of Government Educational Institutions as Institutions of Eminence) Guidelines, 2017 and also given in UGC (Institutions of Eminence Deemed to be Universities) Regulations, 2017.
 - ii. The financial assistance would be up to an amount of Rupees One thousand Crore or 50 to 75% of the requirement projected in the perspective and detailed plans of the Institution, whichever is less, in a span of five years starting from the financial year of declaration of Institute as Institution of Eminence. The exact amount to be given and the exact percentage in the 50 to 75% band would depend on the perspective and detailed plan proposal of the institution and assessed and accepted by the Empowered Expert Committee.
 - iii. Further, annual release of funding to the public institution would be as per formula approved by EEC and also dependent on the institutions achieving the financial and physical outcomes laid down in its implementation plan. However, if the institution shows capacity to absorb the funds earlier and is able to give the expected outcomes, an accelerated pace of funding would also be allowed.
 - iv. The funding under these guidelines would be in addition to the existing funding to which they are entitled to.
 - v. The funds provided under these guidelines shall not be used for purchase of any land or taking land on lease.
 - vi. The University would have the full freedom to mobilize resources from the industry or alumni or other donors and utilize it in accordance with its implementation plan without having to seek any permission from any authority.
 - vii. University of Delhi shall be reviewed by the EEC regularly after issuance of this Notification for adherence to its implementation plans, keeping in view their fifteen year strategic plans.
- Viii The monitoring and review shall continue till the University gets into top hundred in a world ranking of repute for two consecutive years or till fifteen years, whichever is earlier. The annual review exercise shall be completed by June each year.
- ix. The University shall inform the EEC every year on the progress made in realising the goals laid out in the implementation and strategic plans in a manner so prescribed by the Committee.
 - x. The Institutions of Eminence shall annually self-report and publicly display the information relating to compliance with their implementation and strategic plans.
 - xi. University of Delhi shall get accreditation within five years of the Notification in terms of Guideline 4.1 (xviii).
 - xii. University of Delhi shall continue to be ranked in the National Institutional Ranking Framework and within five years of Notification, shall get itself ranked in an International Ranking index of repute. The Institution shall continue to be ranked in the National and International ranking frameworks.
 - Xiii. If the Institution is unable to meet the goals at the end of fifth and subsequent years, and there are grave deviations, as determined by the EEC, from the implementation plan, the EEC will recommend to the Ministry of Human Resource Development for taking appropriate action as per these Guidelines.

CHANDRA SHEKHAR KUMAR
Joint Secretary